

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :- ...१३/२०१९

-: आदेश :-

दिनांक :- ...२७/१०/२०२१.....

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
१.	शिमला	२०७६-७९	१६५	सीताधर पुत्र रामजीसास	श्रवण सिंह पुत्र रामजीसास

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
खेतड़ी जि. झुंझुनूं (राज.)

दिनांक :- २७/१०/२०२१

क्रमांक :- राजस्व/२०२१/१५४

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार (भू०अ०) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
- प्रार्थी/प्रार्थीया श्रवण सिंह पुत्र रामजीसास ज्ञाति अहीर निवासी शिमला को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
खेतड़ी जि. झुंझुनूं (राज.)